

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E). PUNJAB & U.T., CHANDIGARH

कार्यालय आदेश सं.- प्रशा-1/ए/2023-2024/276
Office Order No. Admn.I/A/2023-24/276

दिनांक : 03.10.2023

Date: - 03.10.2023

कार्यालय आदेश
OFFICE ORDER

निम्नलिखित कार्मिक लेखाकार को वरिष्ठ लेखाकार के पद पर 7 वें वेतन आयोग के अनुसार लेवल 6 में तत्काल प्रभाव से या उनके वरिष्ठ लेखाकार के पद पर कार्यभार सँभालने की तिथि से पदोन्नत किया है।

The following officials are promoted to officiate as Senior Accountants with immediate effect or from the date of their taking over charge as Senior Accountants whichever is later, in the level 6 of the pay matrix as per 7th Central Pay Commission and Sr. Accountant Recruitment (Amendment) Rules 2000.

क्र. संख्या Sr. No.	नाम व पदनाम श्री/श्रीमती Name & Designation Sh/Ms.	PUCDE Code पीयूसीडीई कोड	जन्म तिथि Date of Birth
1.	जोध सिंह, लेखाकार Jodh Singh, Accountant	PUCDE2180917	10.07.1968
2.	बलवीर सेन, लेखाकार Balveer Sain, Accountant	PUCDE2180926	06.02.1983
3.	बीर सिंह, लेखाकार Bir Singh, Accountant	PUCDE2180921	01.08.1967

इस पदोन्नति का आदेश किसी भी अन्य वरिष्ठ कार्मिक जो इससे पहले पदोन्नति का हकदार हो के अधिकार के बिना पक्षपात के दिया गया है। यदि कार्मिक उक्त आदेश के जारी होने के 15 दिनों के भीतर व्यक्तिगत तौर पर पदोन्नत का लाभ नहीं लेता तो उसकी पदोन्नति का प्रस्ताव रद्द समझा जाएगा।

These promotions have been ordered without any prejudice to the right of any official who may be entitled to promotion before them. If the officials do not avail of the promotion within 15 days from the date of issue of these orders, the offer of promotion shall be stand withdrawn.

पदोन्नत कार्मिक को यह आदेश जारी होने की तिथि से 01 माह के भीतर भारत सरकार के ए.आर.22 (1) ए (1) के अंतर्गत वेतन निर्धारण के संबंध में दिए गए विकल्पों का चयन करना आवश्यक है।

This official is required to exercise options regarding fixation of pay within one month from the date of issue of this order in terms of Govt. of India's decision below FR 22(I)(a)(1).

यह पदोन्नती आगामी आदेशों जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एस.एल.पी. (सी) संख्या 30621/2011 में पारित अंतिम आदेश के परिणामस्वरूप तथा माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक 15.07.2011 को सी.डब्ल्यू.पी. संख्या-13218/2009 में पारित आदेश व अपील

कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हकदारी), पंजाब एवं यू.टी चंडीगढ़
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E) PUNJAB & UT CHANDIGARH
कार्यालय आदेश
Office Order

कार्यालय आदेश : प्रशासन-1/ए/2023-24/278
Office Order No. Admn-1/A/2023-24/278

दिनांक : 04.10.2023
Date : 04.10.2023

सक्षम प्राधिकारी ने तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित नियुक्ति एवं स्थानांतरण के आदेश दिए हैं :-
The competent authority has ordered the following posting & transfer with immediate effect:-

क्र. Sr. No.	नाम व पदनाम श्रीमति/श्री Name & Designation Smt/Sh.	Employee ID	से From	को To	अभ्युक्तियां (यदि कोई हो)
1.	खुशी राम सिरोया, पर्यवेक्षक Khushi Ram Siroya, Supervisor	PUCDE2180387	पेंशन स्कंध (जी.आर. सेल) Pension wing (GR Cell)	प्रशासन यू.टी. Admn UT	

प्राधिकार : उप महालेखाकार (प्रशासन) के दिनांक 04.10.2023

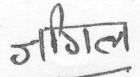
हस्ता/-
वरिष्ठ लेखा अधिकारी (प्रशासन-I)

पृ० संख्या : प्रशासन-1/नियुक्ति एवं स्थानांतरण/2023-24/3397-3403

दिनांक : 04.10.2023

प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है:-

1. महालेखाकार के निजी सचिव
2. सभी समूह अधिकारी
3. प्रशासन-2 व 3, पी.ए.ओ, पी.पी.सी.बी, टी.एम-2, प्रशासन यू.टी. व जी.आर.सेल
4. संबंधित कर्मचारी
5. आई.टी.सपोर्ट सेल डेटाबेस द्वारा वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
6. प्रशिक्षण कक्ष व हिंदी कक्ष
7. कार्यालय आदेश फाईल व प्रशासन-एक (इवेंट सीट)


वरिष्ठ लेखा अधिकारी (प्रशासन-I)